भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **5361**

दिनांक 25 जुलाई , 2019 / 3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पूर्वोत्तर के राज्यों में नए विमानपत्तन

5361. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में नए विमानपत्तन बनाने अथवा मौजूदा विमानपत्तनों को विकसित करने को कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस हेतु चयनित स्थानों के नाम क्या हैं और इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इन विमानपत्तनों को कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) तथा (ख): जी हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को असम के सिल्चर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और नागर विमानन मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी, इटानगर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया है। होलोंगी हवाईअड्डे के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बोली दस्तावेजों को तैयार करना आरंभ कर दिया है और सिल्चर हवाईअड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह व्यवहार्यता-पूर्व अध्यनन हेतु भूमि का ब्यौरा साझा करे।

हवाईअड्डों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इस कार्य को भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों, यातायात की मांग/ ऐसे हवाईअड्डों के लिए/से प्रचालन हेतु एयरलाइनों की स्वेच्छा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य को समय-समय पर किया जाता है। भारतीय विमापनपत्तन प्राधिकरण ने गुवाहाटी और इम्फाल हवाईअड्डों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण, लीलाबाड़ी हवाईअड्डे पर रनवे के पुन:सतहीकरण, डिब्रूगढ़ और बरापानी हवाईअड्डों पर रनवे के विस्तार कार्य तथा संबंधित कार्यों, दीमापुर हवाईअड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण के कार्य तथा अगरतला हवाईअड्डे पर हैंगर और कार्गो भवन के निर्माण तथा रूपसी और तेजू हवाईअड्डों पर विकास कार्य के लिए कार्रवाई आरंभ की है।

(ग): होलोंगी हवाईअड्डे का निर्माण कार्य पूरा होने व इसके प्रचालनीकरण की अनुमानित तिथि 30.06.2022 है। तथापि, हवाईअड्डा परियोजना का समापन अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य क्लियरेंसों की उपलब्धता, हवाईअड्डा विकासकर्ता द्वारा वित्तीय पूर्णता आदि।